प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 520/2022

अनवान : –

1. बलराम पुत्र मदन जाति मेघवाल निवाी बिरकाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र मदन जाति मेघवाल निवासी बिकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्र पुत्र मदन जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. किताबी पुत्री मदन पत्नी जुगलाल जाति मेघवाल निवासी भलाउ ताल तहसील तारानगर जिला चुरू।
4. गिरदावरी पुत्री मदन पत्नी रतनाराम जाति मेघवाल निवासी भलाउ ताल तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. विमला पुत्री मदन पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. चावली पुत्री मदन पत्नी पतराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 26.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 358/356 की कुल 7.5880 हैक्ट भूमि वादी पिता मदन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वर्तमान में मदन पुत्र गोरखा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मदन पुत्र गोरखा का देहान्त हो चुका है। मदन पुत्र गोरखा के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो कि उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीया संख्या 3 ता 6 जो की वादी व प्रतिवादी स0 1 व 2 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के हक हिस्सा की भूमि को जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही न्याय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा ननाउ सम्वत 2070–73 के खाता स0 358 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र मदन प्रदर्श–2, वारिसनामा प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उभयपक्षों को सुनों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 358/356 की कुल 7.5880 हैक्ट भूमि वादी पिता मदन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो कि वादी के पिता मदन के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि के जायज वारिस वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा एवं पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है। प्रतिवादीया स0 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 ता 6 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसान प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक मदन पुत्र गोरखा के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 358/356 की कुल 7.5880 हैक्ट भूमि मदन पुत्र गोरखा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मदन पुत्र गोरखा का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना

पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26.5.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 520 / 2022

अनवान : –

1. बलराम पुत्र मदन जाति मेघवाल निवाी बिरकाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र मदन जाति मेघवाल निवासी बिकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. महेन्द्र पुत्र मदन जाति मेघवाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. किताबी पुत्री मदन पत्नी जुगलाल जाति मेघवाल निवासी भलाउ ताल तहसील तारानगर जिला चुरू।
4. गिरदावरी पुत्री मदन पत्नी रतनाराम जाति मेघवाल निवासी भलाउ ताल तहसील तारानगर जिला चुरू।
5. विमला पुत्री मदन पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. चावली पुत्री मदन पत्नी पतराम जाति मेघवाल निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 520 सन 2022 निर्णय दिनांक 20.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों / शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता स0 358 / 356 की कुल 7.5880 हैक्ट भूमि मदन पुत्र गोरखा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मदन पुत्र गोरखा का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

यह डिक्री आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:18 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–ननाऊ